:: सार्वजनिक सूचना ::

क्रमांक: 3/3/4/02/2026-1-01(GAD)   भोपाल, दिनांक: 21/05/2026

कर्मचारी चयन मण्डल की भरती परीक्षाओं को संचालित करने के लिये नवीन प्रारूप नियमों पर जन-परामर्श

एतद् द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा "कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम, 2026" अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है ।

2. प्रस्तावित नियमों के प्रारूप सूचना के साथ संलग्न है एवं विभाग की वेबसाइट gad.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

3. प्रस्तावित नियमों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था या हितधारक को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो, तो वे दिनांक **05 जून 2026** तक लिखित रूप में अपने सुझाव ई-मेल sogad1@mp.gov.in पर प्रेषित कर सकते है एवं gad.mp.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी विभाग को दें सकते है।

4. निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाले सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(अजय कटेसरिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

<u>प्रारूप - कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम, 2026</u>

क्रमांक :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा, राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों से संबंधित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, संयुक्त परीक्षा के माध्यम से, भरती हेतु अर्हता निर्धारित करने के लिए तथा मापदंड नियत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

<u>नियम</u>

अध्याय-01

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम " कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम, 2026" है।

(2) ये नियम 01 अक्टूबर 2026 की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा :- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(i) "पद" से अभिप्रेत है राज्य के विभागों के वे समस्त पद जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं;

(ii) ''स्कोर कार्ड'' से अभिप्रेत है, अभ्यर्थी द्वारा मण्डल की अर्हता परीक्षा में प्राप्त किया गया स्कोर कार्ड;

(iii) "शासन'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन;

(iv) "विभाग" से अभिप्रेत हैं राज्य शासन के विभाग;

(v) "उपक्रम" से अभिप्रेत है राज्य के विभिन्न निगम, मण्डल, आयोग, बोर्ड, स्वायत्तशासी निकाय, स्थानीय निकाय, सोसाइटी, सहकारी बैंक एवं राज्य शासन द्वारा इस उद्देश्य हेतु अधिसूचित कोई संस्था;

(vi) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

(vii) "मण्डल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल;

(viii) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इस नियम के अध्याय 2 अथवा अध्याय 3 के अंतर्गत मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा;

(ix) ''नियुक्ति पोर्टल'' से अभिप्रेत है, वह ऑनलाइन पोर्टल जिस पर शासन के समस्त विभाग, उनके रिक्त पदों को प्रदर्शित करेंगे एवं अर्हता परीक्षा परिणाम के आधार पर रिक्त पदों हेतु नियुक्ति प्रक्रिया सम्पादित करेंगे;

(x) "आरक्षण" से अभिप्रेत है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिया जाने वाला लंबवत आरक्षण एवं महिला, दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक को दिया जाने वाला क्षैतिज आरक्षण।

3. विस्तार -(1) ये नियम राज्य शासन के सभी विभागों के लिए प्रभावशील होंगे।

(2) शासकीय विभागों तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों से संबंधित सभी पदों को भरने हेतु परीक्षा आयोजन का कार्य मण्डल द्वारा नियत किए गए मापदंड के अनुसार किया जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने वाले पदों को छोड़कर सभी विभागों को ऐसी भरती, उनके स्वयं के स्तर पर या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से कराया जाना प्रतिबंधित रहेगा:

परन्तु कतिपय पदों के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग की विशेष अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त विभाग उनके स्वयं के स्तर पर या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से पदों को भरने के सम्बन्ध में निर्णय ले सकेंगे।

(3) राज्य शासन के उपक्रमों द्वारा इन नियमों के अंतर्गत पदों को भरने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा।

(4) इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंधों का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

4. परीक्षा का आयोजन: (1) उन सभी पदों**,** जिनमें मण्डल के माध्यम से भरती किया जाना है, पर भरती के लिए मण्डल द्वारा अर्हता परीक्षा का आयोजन अध्याय 2 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा:

परन्तु विशेष परिस्थितियों में विभाग के प्रस्ताव पर कतिपय पदों के लिये मण्डल से परामर्श उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग से इस सम्बन्ध में आदेश जारी होने के उपरान्त मण्डल द्वारा विशेष चयन परीक्षा का आयोजन अध्याय 3 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा;

(2) अध्याय 4 के अनुबंध समस्त परीक्षाओं पर समान रूप से लागू होंगे;

अध्याय-02

संयुक्त अर्हता परीक्षा

5. संयुक्त अर्हता परीक्षा – विभिन्न संवर्गों के पदों के लिये मण्डल द्वारा वार्षिक अर्हता परीक्षा निम्नानुसार आयोजित की जायेगी :-

क्र.	**परीक्षा का प्रकार**	**परीक्षा का स्वरूप**
01.	संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा	परिशिष्ट -1 के अनुसार
02.	संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा	परिशिष्ट - 2 के अनुसार
03.	शिक्षक अर्हता परीक्षा	परिशिष्ट - 3 के अनुसार

6. संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा एवं संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा के परीक्षा परिणाम एवं स्कोर कार्ड की वैधता :-

(1) इन नियमों के अधीन परीक्षा परिणाम में केवल निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए ही मण्डल द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया जायेगा;

(2) मण्डल द्वारा सभी अंक प्रतिशतता (percentile) के रूप में जारी किये जायेंगे;

(3) संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा एवं संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा के संदर्भ में स्कोर कार्ड, परिणाम जारी होने के दिनांक से दो कैलेंडर वर्ष बाद की 31 दिसम्बर तक वैध होगा। अभ्यर्थी पात्रता अनुसार प्रत्येक वर्ष की अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।

उदाहरण: यदि अर्हता परीक्षा का स्कोर कार्ड वर्ष 2026 की 10 जुलाई को जारी किया जाता है तो वह स्कोर कार्ड 10.07.2026 से 31.12.2028 तक वैध होगा।

7. शिक्षक अर्हता परीक्षा के परीक्षा परिणाम एवं स्कोर कार्ड की वैधता :-
(1) शिक्षक अर्हता परीक्षा का परीक्षा परिणाम शिक्षकों की अर्हता निर्धारण हेतु आजीवन वैध होगा।

(2) शिक्षकों के शासकीय सेवा में चयन के लिये शिक्षक अर्हता परीक्षा के स्कोर कार्ड की वैधता नियम 6(3) के अनुसार होगी।

(3) शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के चयन के लिये शिक्षक अर्हता परीक्षा के अतिरिक्त अन्य विषय अथवा अर्हताएं निर्धारित की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण: यदि कोई व्यक्ति एक बार शिक्षक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो वह शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिये एवं गैर शासकीय नियोजन के लिये आजीवन अर्ह होगा परन्तु शासकीय सेवा में शिक्षक के रूप में नियोजन के लिये उसका स्कोर कार्ड नियम 6(3) के अनुसार ही वैध होगा।

8. नियुक्ति पोर्टल :- (1) नियुक्ति संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु मंडल द्वारा नियुक्ति पोर्टल का संचालन किया जायेगा।

(2) समस्त विभाग, रिक्त पदों को नियुक्ति पोर्टल के माध्यम पर प्रदर्शित करेंगे एवं नियुक्ति की कार्यवाही करेंगे।

9. नियुक्ति पोर्टल पर रिक्तियों (रिक्त पदों) का प्रकाशन :- (1) सभी विभाग भरे जाने वाले पदों की निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करेंगे :-

i. भरे जाने वाले पद की आरक्षण वर्गवार संख्या,
ii. पद के सम्बन्ध में वेतनमान एवं अर्हता का विवरण,
iii. अर्हता परीक्षा के जिन विषय या विषयों के आधार पर नियुक्ति की जानी है उनका विवरण,
iv. अन्य प्रासंगिक जानकारी

(2) अभ्यर्थी को भरती नियमों के अनुसार शारीरिक उपयुक्तता के मापदण्ड पूर्ण करना एवं शारीरिक परीक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण: जिन पदों के लिये शारीरिक परीक्षण परीक्षा का प्रावधान है उन परीक्षाओं में चयन लिखित परीक्षा एवं/अथवा शारीरिक परीक्षण परीक्षा जैसा कि भरती नियम में प्रावधान है, के कुल प्राप्तांकों के अनुसार किया जाएगा।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक से अधिक विभागों की रिक्तियों को संयुक्त रूप से भरने की प्रक्रिया नियुक्ति पोर्टल पर की जा सकेगी।

10. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति पोर्टल पर आवेदन किया जाना :- (1) संयुक्त अर्हता परीक्षा के स्कोर कार्ड के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति पोर्टल पर विभाग द्वारा प्रकाशित रिक्त पदों हेतु पृथक से आवेदन किया जाना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति पोर्टल पर वैध स्कोर कार्ड के साथ किए गये आवेदन के आधार पर ही नियुक्ति पोर्टल के माध्यम से पदवार/ विभागवार एवं आरक्षण वर्गवार चयन सूची जारी की जाएगी।

उदाहरण: कोई अभ्यर्थी जिसके पास 2026 का स्कोर कार्ड है जो 31.12.28 तक वैध है, पुनः वर्ष 2027 में नवीन स्कोर कार्ड अर्जित करता है एवं वह वर्ष 2028 में विज्ञापित किसी पद के लिये आवेदन करता है (जब एक से अधिक स्कोर कार्ड वैध है) तो वह उपलब्ध स्कोर कार्डों में से सर्वश्रेष्ठ स्कोर कार्ड के आधार पर आवेदन कर सकेगा।

(2) परीक्षा के स्कोर कार्ड के आधार पर केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जो विभाग द्वारा भरती के नियम अनुसार निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य न्यूनतम अर्हता को धारण करते हैं एवं विभाग द्वारा निर्धारित विषय अथवा विषयों का स्कोर कार्ड धारण करते हैं। विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता एवं सम्बंधित विषय अथवा विषयों का स्कोर कार्ड धारण नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

(3) नियुक्ति पोर्टल पर रिक्तियों के प्रकाशन उपरान्त अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिये न्यूनतम 30 दिवस का समय दिया जायेगा:

परन्तु यदि आवेदन करने की अवधि में सम्बंधित विषय का नवीन परीक्षा परिणाम जारी होता है तो आवेदन करने की अंतिम तिथि इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि नवीन अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने के लिये 15 दिवस का समय मिल सके।

11. चयन सूची: (1) नियुक्ति पोर्टल पर मेरिट के आधार पर आरक्षण वर्गवार चयन सूची जारी की जायेगी;

(2) अभ्यर्थियों के समान अंक प्रतिशतता होने पर निम्नलिखित अनुसार क्रम में प्रावीण्यता निर्धारित की जायेगी:-

(अ) परीक्षा में प्राप्त स्कोर कार्ड के रैंक (rank) के आधार पर,

(ब) रैंक (rank) समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर अर्थात् अधिक आयु के अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा ।

(3) पोर्टल पर समस्त चयनित अभ्यर्थियों के नाम, संयुक्त अर्हता परीक्षा में उनके प्रतिशतता एवं उनकी अर्हता से सम्बंधित समस्त अभिलेखों को प्रदर्शित किया जायेगा।

(4) नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में विभाग द्वारा उक्त रिक्ति को चयन सूची में संबंधित श्रेणी के अंतिम अभ्यर्थी के ठीक नीचे मेरिट क्रम में आने वाले अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा। ।

अध्याय-03

विशेष चयन परीक्षा

12. चयन परीक्षा- नियम 4(1) के परंतुक के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश अनुसार मण्डल द्वारा विशेष चयन परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा।

13. चयन सूची जारी करने की प्रक्रिया :- (1) विशेष चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर मण्डल द्वारा आरक्षण नियमों का पालन करते हुए चयन सूची जारी कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जा सकेगी।

(2) अनुपूरक सूची की अनुशंसा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार जारी की जा सकेगी।

अध्याय- 4

प्रकीर्ण

14. आयु सीमा :– आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नियम एवं निर्देश लागू होंगे। विभाग द्वारा नियुक्ति पोर्टल पर रिक्त पदों का प्रकाशन किये जाने के दिनांक तक, आयु सीमा अनुसार पात्र अभ्यर्थी उस विज्ञापन हेतु आवेदन कर सकेंगे।

परन्तु यदि किसी विभाग को कतिपय सेवाओं के लिये आयु सीमा के सम्बन्ध में छूट प्राप्त है तो ऐसी पृथक आयु सीमा लागू की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण - केवल वही जन्म तिथि स्वीकार की जाएगी जो अभ्यर्थी की हाईस्कूल (10वी) अथवा समकक्ष अंकसूची में अभिलिखित होगी। आयु संबंधी कोई अन्य दस्तावेज जैसे- शपथ पत्र, जन्म-पत्री, जन्म प्रमाण पत्र आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

15. न्यूनतम अर्हता :- (1) मंडल द्वारा परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन अनुसार, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को, निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण करना अनिवार्य होगा।

(2) अन्य समस्त अहर्ताओं के संबंध में वैध प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर होने का प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र), आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी होना अनिवार्य होगा।

16. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना :- (1) मण्डल द्वारा प्रत्येक परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी किया जायेगा, जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा के स्वरूप एवं अन्य जानकारी होगी। आवेदन का स्वरूप मण्डल द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(2) ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और जो विहित प्रारूप में नहीं हैं या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है या जिसमें मिथ्या या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गई हो, किसी भी स्तर पर निरस्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

17. अर्हकारी अंक :- (1) मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के परिणाम जारी किए जायेंगे, जिन्होंने निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त किए हों। यदि परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र को एक से अधिक भागों में बांटा गया है तो अभ्यर्थी को भाग वार अर्हकारी अंक प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) न्यूनतम अर्हकारी अंक का निर्धारण मण्डल द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से किया जायेगा।

18. आरक्षण :- सभी प्रकार के आरक्षण एवं आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिनियमों, नियमों एवं परिपत्रों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

19. परीक्षा शुल्क :- (1) परीक्षा शुल्क का विनिश्चय मण्डल द्वारा किया जाएगा।

(2) यदि मंडल द्वारा विलम्ब से परीक्षा आवेदन भरने का अवसर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में मंडल को परीक्षा हेतु विशेष विलम्ब शुल्क निर्धारित करने का अधिकार होगा।

20. अभिलेख सत्यापन एवं मेडिकल जांच: - (1) मंडल द्वारा, नियुक्ति पोर्टल के माध्यम से नियम 10 एवं नियम 12 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता से संबंधित अभिलेखों, अन्य आवश्यक योग्यता से सम्बंधित अभिलेखों, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र, जो आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए हों, का सत्यापन किया जायेगा एवं मेडिकल जांच करायी जायेगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी का सत्यापन दिनांक पर भी वैध प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

(2) मंडल द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन एवं मेडिकल जांच के उपरान्त अभ्यर्थियों की प्राविधिक सूची विभाग को प्रेषित की जायेगी।

(3) नियुक्ति हेतु अनुशंसा किये जाने के उपरान्त सम्बंधित विभाग द्वारा अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा।

(4) नियुक्ति आदेश जारी हो जाने के उपरान्त सम्बंधित अभ्यर्थी का IFMIS पोर्टल पर पंजीयन किया जायेगा जो परीक्षा के लिये आवेदन पत्र भरने के समय के आधार सत्यापन से पुनः सत्यापित करने के उपरान्त किया जायेगा।

21. नियुक्ति का अधिकार: (1) इन नियमों के अधीन संचालित अर्हता परीक्षा के परीक्षा परिणाम के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा, जब तक कि :-

(i) अभ्यर्थी का नाम पदवार, आरक्षित श्रेणीवार अंतिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया हो;

(ii) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए सम्बंधित विभाग द्वारा निर्धारित समस्त अर्हता, आयु एवं पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो;

(iii) अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के मिलान एवं चिकित्सकीय जांच करने के उपरान्त नियुक्ति हेतु पात्र नहीं पाया गया हो; एवं

(iv) मंडल द्वारा सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा न कर दी गयी हो;

(2) ऐसा शासकीय सेवक जो नियमित शासकीय सेवा में नियुक्त होकर पदभार ग्रहण कर चुका है को अधिकतम एक बार मण्डल की परीक्षा के आधार पर नवीन पद पर नियुक्ति दी जा सकेगी।

स्पष्टीकरण: यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी वर्ष की परीक्षा के आधार पर शासकीय सेवा (शासकीय उपक्रम सहित) में नियुक्त होकर पदभार ग्रहण कर चुका है तो नियमित शासकीय सेवा में रहते अधिकतम एक बार उसकी नियुक्ति किसी अन्य पद पर की जा सकेगी। दूसरी नियुक्ति के उपरान्त वह मण्डल की परीक्षा के आधार पर किसी भी सेवा अथवा पद के लिये अनर्ह हो जायेगा। इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व से कार्यरत शासकीय सेवकों को भी अधिकतम एक ही बार नवीन पद पर नियुक्ति दी जा सकेगी।

22. अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आधार :- किसी अभ्यर्थी की किसी भी स्तर पर, अभ्यर्थिता निम्न कारणों से रद्द की जा सकेगी :-

i. आवेदन में मिथ्या एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी भरी हो, या

ii. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी प्रकार से सहयोग प्राप्त किया हो, जिससे अभ्यर्थी को परीक्षा में अनुचित लाभ प्राप्त हुआ हो या उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई हो; या

iii. प्रतिरूपण किया हो; या

iv. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो; या

v. अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए गए हों जो रूपांतरित किए गए हों; या

vi. ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो; या

vii. किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिया हो; या

viii. परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो; या

ix. परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक को कोई धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो; या

x. प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो; या

xi. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में इस प्रकार दुर्व्यवहार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो; या

xii. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो; या

xiii. परीक्षा उपरांत, परीक्षा संबंधी डाटा का सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर आवेदकों की गतिविधि असामान्य परिलक्षित हो।

23. परीक्षा पाठ्यक्रम निर्धारण:- मण्डल को यह अधिकार होगा कि वह सामान्य प्रशासन विभाग एवं सम्बंधित विभाग के साथ परामर्श के उपरान्त किसी भी अर्हता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम एवं परीक्षा का स्वरूप निर्धारित कर सकेगा, एक से अधिक परीक्षाओं के लिये समान पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकेगा एवं पूर्व से निर्धारित पाठ्यक्रम में संशोधन कर सकेगा।

24. परीक्षा का स्थान, तिथि एवं समय निर्धारण:- मण्डल को प्रत्येक परीक्षा का स्थान, तिथि एवं समय निर्धारित करने का अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

25. परीक्षा केन्द्र आवंटन:- मण्डल के पास परीक्षा केंद्र आवंटन का अधिकार सुरक्षित होगा। मण्डल के लिए यह बंधनकारी नहीं है कि अभ्यर्थी द्वारा मांगा गया परीक्षा केन्द्र ही उसे आवंटित करें। परीक्षा केन्द्रों की क्षमता एवं प्रशासनिक सुविधा को दृष्टि में रखते हुए मण्डल द्वारा परीक्षा केन्द्र आवंटित किए जाएंगे।

26. विज्ञापन की विधि मान्यता: मण्डल द्वारा जारी विज्ञापन, इन नियमों के साथ ही शासन के नवीन अनुदेशों तथा मण्डल के निर्णयों के आधार पर जारी होते हैं । अतः मण्डल के विज्ञापन में उल्लेखित प्रावधान इन नियमों में उल्लेखित न होने पर भी विधि मान्य होंगे ।

27. निर्वचन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :- यदि इन नियमों के प्रवर्तन के संबंध में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो उसे राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

28. विभागीय भरती नियमों में संशोधन :- समस्त विभागों द्वारा राज्य लोक सेवाओं एवं पदों के लिये भरती को विनियमित करने वाले समस्त भरती नियम इन नियमों के उपबंधों के अनुसार संशोधित किए जायेंगे एवं ऐसा संशोधन होने तक समस्त विभागीय भरती नियम इन नियमों में यथा-उपबंधित सीमा तक संशोधित किये गये समझे जाएंगे।

29. निरसन तथा व्यावृत्ति :- मध्य प्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013 एवं इन नियमों के तत्स्थानी अन्य सभी नियम एवं अनुदेश, जो कि इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हो एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

परन्तु निरसित नियमों एवं अनुदेशों के अधीन किये गये समस्त आदेश एवं कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी अनुबंधों के अधीन किये गये आदेश एवं कार्यवाही समझी जायेगी ।

स्पष्टीकरण: इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व जिन परीक्षाओं के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है उनका आयोजन निरसित नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

परिशिष्ट – 1

संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा

भाग	विषय	प्रश्न
1	मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान एवं सम-सामयिक विषय; मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासकीय योजनायें; सामान्य ज्ञान (10वीं स्तर), गणित, तार्किक योग्यता (10वीं स्तर), व्याकरण, प्रशासनिक भाषा एवं भाषा ज्ञान	25
2	सम्बंधित विषय (निम्न सूची अनुसार)	75
	कुल प्रश्न	**100**

क्र.	विषय
1.	कृषि
2.	विज्ञान
3.	कम्प्यूटर विज्ञान
4.	वाणिज्य एवं लेखा
5.	प्रबंधन
6.	सांख्यिकी
7.	विधि
8.	सिविल अभियांत्रिकी
9.	मेकेनिकल अभियांत्रिकी
10.	विद्युत अभियांत्रिकी
11.	पैरामेडिकल
12.	इलेक्ट्रोनिक्स
13	स्टेनो
14.	पशु विज्ञान
15.	अन्य विषय जो आवश्यक हो

परिशिष्ट – 2

संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा

भाग	विषय	प्रश्न
1	सामान्य ज्ञान (10वीं स्तर) एवं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम-सामयिक विषय	25
2	मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, सम-सामयिक विषय; मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासकीय योजनायें	25
3	गणित, तार्किक योग्यता, डाटा विश्लेषण एवं सामान्य कंप्यूटर ज्ञान (10वीं स्तर)	25
4	गद्यांश, व्याकरण, प्रशासनिक भाषा एवं भाषा ज्ञान	25
	कुल प्रश्न	**100**

परिशिष्ट – 3

शिक्षक अर्हता परीक्षा

क्र.	परीक्षा
1.	प्राथमिक शिक्षक अर्हता परीक्षा
2.	माध्यमिक शिक्षक अर्हता परीक्षा
3.	उच्च माध्यमिक शिक्षक अर्हता परीक्षा
4.	आवश्यकता अनुसार अन्य परीक्षा